रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222661
CG-DL-E-23102020-222661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3325] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
No. 3325] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3752(अ).—केंद्रीय सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसूची के प्रवर्ग 'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से और उक्त अनुसूची के प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए राज्य स्तर पर, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (इसमें इसके पश्चात् ई आई ए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां गठित की जाएंगी जिसका तीन वर्ष के नियत कार्य अवधि होगी।

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रवर्ग ''ख'' प्रस्तावों के अंतर्गत विषयों के निर्बाध व्यौहार के लिए महामारी कोविड 19 जैसी कतिपय स्थिति में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों का तीन वर्ष के पश्चात् कार्य अवधि के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

और, केंद्रीय सरकार आपवादिक परिस्थितियों में मौजूदा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों के अवधि में विस्तार करना आवश्यक समझा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन

सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, इस ई आई ए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :–

उक्त अधिसूचना में,–

(i) पैरा 3 में, उप–पैरा (6) मे, परंतुक में, शब्दों में ''छह महीने'' के स्थान पर, ''बारह महीने'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) पैरा 5 में, उप–पैरा (ग) मे, परंतुक में, शब्द में ''छह महीने'' के स्थान पर, ''बारह महीने'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) परिशिष्ट VI में, मद 7 में, परंतुक में, शब्द में ''छह महीने'' के स्थान पर, ''बारह महीने'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जे–11013/30/2007.आईए– II(I)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 15 अक्तूबर, 2020 के का.आ. 3636 (अ) द्वारा इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

S.O. 3752(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior Environmental Clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority for matters falling under Category 'B' in the said Schedule;

AND WHEREAS, the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for a fixed term of three years;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for extension of tenure of the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, beyond three years in certain situation like pandemic COVID 19, for uninterrupted dealing the matters under Category "B" proposals;

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to extend the tenure of the existing

State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, in exceptional circumstances;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 3, in sub-paragraph (6), in the proviso, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.

(ii) in paragraph 5, in sub-paragraph (c), in the proviso, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.

(iii) in the APPENDIX VI, in item 7, in the proviso, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.

[F. No. J-11013/30/2007-IA. II(I)]
ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide notification number S.O. 3636(E), dated the 15th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3753(अ).—केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में तारीख 17 मार्च, 2017 के का.आ. 850(अ) द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:
उक्त अधिसूचना में,

(i) पैरा 2 क मे, अंक, अक्षर और शब्द "16 सितम्बर 2020" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "16 मार्च 2021 या नए प्राधिकरण के गठन तक, महाराष्ट्र, जो भी पहले हो" रखें जाएंगे ।

(ii) पैरा 8 क मे, अंक, अक्षर और शब्द "16 सितम्बर 2020" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "16 मार्च 2021 या नए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समितियों, महाराष्ट्र के गठन तक जो भी पहले हो" रखें जाएंगे ।

[फा. सं. जे–11013/30/2007.आईए– II(I)**]**
अरविंद नौटियाल,संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.आ. 850 (अ) तारीख 17 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 12 मार्च, 2017 के का.आ. 4040 (अ) तथा तारीख 8 जून, 2020 के का.आ. 1788(अ) द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

स्पष्टीकारक ज्ञापन: "16 मार्च, 2021" के रूप में "16 मार्च, 2021" को प्रतिस्थापित करके पैरा 2क और पैरा 8क में संशोधन करके, किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2020

S.O. 3753(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 850(E), dated the 17th March, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 2A, for the figures, letters and word "16th September, 2020", the figures, letters and word "16th March, 2021 or till the constitution of new Authority, Maharashtra, whichever is earlier.", shall be substituted.

(ii) in paragraph 8A, for the figures, letters and word "16th September, 2020", the figures, letters and word "16th March, 2021 or till the constitution of new SEACs, Maharashtra, whichever is earlier.", shall be substituted.

[F.No. J-11013/30/2007-IA.II(I)]
ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 850 (E), dated the 17th March, 2017 and subsequently amended vide number S.O. 4040(E), dated the 12th December, 2017 and vide number S.O. 1788(E), dated the 8th June, 2020.

Explanatory Memorandum: By making amendments in paragraph 2A and paragraph 8A by substituting "16th September, 2020" as the "16th March, 2021", the interest of no person shall be adversely affected.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM